उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-6

संख्या-7-1368/38-6-14-5एवीआरवाई/2013

लखनऊ, दिनांक-22 दिसम्बर, 2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-3-1071/38-6-14-05एवीआरवाई/2013, दिनांक-04.12.2014 द्वारा अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अनुदान संख्या-83 (एससीएसपी मद) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की गई है।

2- इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत शासनादेश के प्रस्तर-3 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के स्थान पर एतदद्वारा अनुदान संख्या-83 पढा/समझा जाए।

3- उक्त शासनादेश दिनांक-04.12.2014 की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-1368(1)/38-6-14 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, 9वॉ तल, इन्दिरा भवन लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।

7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. लखनऊ।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

10-ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3

11-राज्य योजना आयोग-1/2

12-गार्ड फाइल।

भवदीय,

(एम0बी0 सिंह)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in